संचिका संख्या–5 / श्रम स्था०–11 / 2019 श्र०सं०–618

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

आलोक कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सचिव,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–21/2/25

विषयः– **समाचार पत्र में निष्प्रयोजित वाहनों की नीलामी से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना में 02 (दो) निष्प्रयोजित स्टॉफकारों / वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया खुली डाक द्वारा की जानी है, जिससे संबंधित नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है।

अतएव नीलामी आमंत्रण की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त नीलामी से संबंधित सूचना को राज्य के प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– नीलामी आमंत्रण की प्रति।

विश्वासभाजन

(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5 / श्रम स्था०–11 / 2019 श्र०सं०....618.... पटना, दिनांक– 21/2/25

प्रतिलिपि– श्री घनश्याम रविदास, श्रम अधीक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार से अनुरोध है कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को उचित माध्यम से प्रेषित करने हेतु आई०टी० मैनेजर को निदेशित करने की कृपा की जाय।

2. आई०टी०मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/2/25

सरकार के विशेष सचिव

Sudesh ji letter 1653

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

"A" Block द्वितीय तल, नियोजन भवन, इनकम टैक्स गोलम्बर, बेली रोड, पटना।.2025

।। अल्पकालीन वाहन नीलामी आमंत्रण ।।

श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के निष्प्रयोजित स्टॉफकारों/वाहनों की नीलामी दिनांक 05.03.2025 को अपराह्न 4:00 बजे खुले डाक द्वारा किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित की जाती है। नीलामी संबंधी विस्तृत विवरणी विभागीय बेवसाईट (https://state.bihar.gov.in/labour) पर देखी जा सकती है। नीलामी से संबंधित आवेदन एवं बैंक ड्रॉफ्ट प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 04.03.2025 (अपराह्न 3:00 बजे तक) है। नीलामी निबंधित डाक/Speed Post से किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

21/2/25
(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

Sudesh ji letter 1654

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग।

सूचना

स्टॉफकारों/वाहनों की नीलामी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नियोजन भवन स्थित श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पार्किंग परिसर में रखे गये कुल 02 (दो) निष्प्रयोजित स्टॉफकारों/वाहनों की स्थिति जहाँ जिस अवस्था में अवस्थित है, के आधार पर खुली डाक द्वारा नीलामी, श्रम संसाधन विभाग की नीलामी समिति की देख–रेख में दिनांक–05.03.2025 को अपराह्न 04:00 बजे नियोजन भवन के प्रथम तल "ब्लॉक–C" प्रतिबिंब सभागार में किया जाएगा। प्रस्तावित नीलामी हेतु स्टॉफकारों/वाहनों का निरीक्षण कार्यालय अवधि (सोमवार से शुक्रवार) में दिनांक–24.02.2025 से 03.03.2025 तक क्रेता द्वारा आवश्यकतानुसार उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष) से सम्पर्क कर किया जा सकता है।

वाहनों की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	वाहन सं०	वाहन के प्रकार	क्रय वर्ष	चेचिस नम्बर	ईंजन नम्बर	MVI द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य	प्रतिभूति की राशि	वाहन जहां रखा है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	BR01PK-6590	Innova Crysta	2019	MBJGB8EM602070358091	2GDA364516	₹10,30,000/–	₹50,000	
02.	BR01PH-0676	Scorpio	2016	MA1TA2SJXG2B35167	SJG4D19766	₹4,50,000/–	₹20,000	

नीलामी की शर्त्तें :–

उक्त नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को उपर्युक्त संलग्न सूची में अंकित निर्धारित प्रतिभूति की राशि अलग–अलग वाहन के अनुसार बैंक ड्राफ्ट के रूप में Deputy Sectretary-cum-DDO, Labour Resources Department के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं उनके द्वारा दिनांक– 04.03.2025 को अपराह्न 03.00 बजे तक विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना परिचय पत्र देना होगा, जिसमें आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस का हस्ताक्षरित प्रति होगा। नीलामी में भाग लेते समय उनके परिचय पत्र के आधार पर जमा राशि को देखने के उपरान्त ही भाग लेने दिया जाएगा। उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर शेष डाक वक्ता के जमानत की राशि नीलामी प्रक्रिया के समाप्त होने के उपरान्त 05 कार्य दिवस के अन्दर वापस कर दिया जाएगा। सबसे अधिक डाक बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण राशि का बैंक ड्रॉफ्ट जमा कर वाहन को ले जाया जा सकता है। एक सप्ताह के अन्दर राशि नहीं जमा करने पर उनके द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति की राशि स्वतः जब्त हो जाएगी। समिति के सदस्यों को बिना कारण बताये डाक को निलंबित करने, स्थगित करने, तिथि बढ़ाने अथवा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा। विशेष जानकारी के लिए श्री शिवजी सिंह,प्रशाखा पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना से मोबाईल सं०–9334228364 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

Sudesh ji letter 1651

Annexure-A

जमानत की राशि जमा करने का फॉर्मेट

बोली लगाने वाले का नाम :–
बोली लगाने वाले का पता :–
मोबाईल संख्या :–
वाहन संख्या :–

क्र०सं०	वाहन संख्या	प्रतिभूति की राशि	अभ्युक्ति
1			
2			
कुल राशि :–			

बैंक ड्रॉफ्ट संख्या एवं तिथि :–
बैंक ड्रॉफ्ट की राशि :–

21/2/25

(आलोक कुमार)
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।